रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032020-218815
CG-DL-E-19032020-218815

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1015] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2020/फाल्गुन 28, 1941
No. 1005] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2020/PHALGUNA 28, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2020

का.आ. 1122(अ).—विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलीकृत प्रणाली) 2017, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 7 की मदों की आयात नीति में एतद्द्वारा निम्नवत अधिसूचित करती है –

एक्जिम कोड	मद विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति की स्थिति
07133110	उड़द [एसीपीपी विगना मुंगो (एल) हेप्पेर की बीन्स]	प्रतिबंधित	उड़द [एसीपीपी विगना मुंगो (एल) हेप्पेर की बीन्स] का आयात 04 लाख मी.टन के वार्षिक (वित्त वर्ष) कोटा के अध्यधीन होगा। **कोटा प्रतिबंध के तहत उड़द का आयात केवल विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार मिलर्स/रिफाइनर को ही किया जाएगा:** बशर्ते कि यह प्रतिबंध किसी द्विपक्षीय या क्षेत्रीय करार या समझौता ज्ञापन के तहत सरकार की आयात संबंधी प्रतिबद्धता पर लागू नहीं होगा।
07139010	स्प्लिट		
07139090	अन्य		

2. वर्ष 2020-21 के लिए उड़द का वार्षिक कोटा 4 लाख टन है और यह 1 मई, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी रहेगा। वर्ष 2019-20 के लिए उड़द के आयात के संबंध में भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना, असाधारण का.आ. संख्या 4540(अ) दिनांक 18.12.2019 के साथ भारत के राजपत्र में प्रकाशित ईस्की कोरिजेंन्दम का.आ. संख्या 4604(अ) दिनांक 24.12.2019 और डीजीएफटी की ट्रेड नोटिस संख्या 54/2019-20 दिनांक 03.03.2020 जिसके द्वारा आयात की तिथि बढ़ाकर 30.04.2020 तक किया जा चुका है, वह अलग से लागू किया जाएगा।

[फा. सं.14/3/2018-ईपी(एग्री-III)]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

नोट : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 17 जनवरी, 2017 के का.आ. संख्या 172(अ) के तहत दिनांक 17 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या 36/2015-20 के तहत जारी की गई थी और उसमें पिछला संशोधन दिनांक 24 दिसंबर, 2019 भारत के राजपत्र असाधारण के का.आ. संख्या 4604(अ) के तहत किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2020

S.O. 1122(E).—In exercise of powers conferred by section 3 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), read with paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Central Government hereby notifies the Import Policy of items of Chapter 7 of the Indian Trade Classification (Harmonized System), 2017, Schedule-1 (Import Policy), as under –

Exim Code	Item Description	Existing Policy	Revised Policy condition
0713 31 10	Urad [Beans of the SPP Vigna Mungo (L.) Hepper]	Restricted	Import of Urad shall be subject to an annual (fiscal year) quota of **04 lakh MT**. **Import of Urad under the Quota Restriction will be allowed only to the Millers / Refiners** as per procedure to be notified by Directorate General of Foreign Trade:- Provided that this restriction shall not apply to Government's import commitments under any Bilateral or Regional Agreement or Memorandum of Understanding.
0713 90 10	Split		
0713 90 90	Other		

2. **Effect of the Notification:** Annual quota of Urad for the year 2020-21 is 4 Lakh MT and will be effective from 1st May, 2020 to 31st March, 2021. The earlier Notification published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. 4540 (E) dated 18.12.2019 read with its Corrigendum vide S.O. 4604 (E) dated 24.12.2019 and DGFT's Trade Notice No. 54/2019-20 dated 03.03.2020 extending the date of import up to 30.04.2020 in respect of import of Urad for the year 2019-20 will be implemented separately.

[F. No. 14/3/2018-EP(Agri-III)]

DIWAKAR NATH MISRA Jt. Secy.

Note: The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. 172(E), dated the 17th January, 2017 and last amended vide notification published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. 4604 (E), dated the 24th December, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.19 22:37:42 +05'30'